

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, गुरादाबाद।

पत्रांक— ३०३ / २२-२, मुरादाबाद, अगस्त— ०४ 2016
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :— जनपद अमरोहा में बदांयू-बिजनौर मार्ग (एन०एच०-५१) कि०मी० ११३.१०० की दाँयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की खसरा संख्या-७९ तहसील हसनपुर में एक रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०७५९ हेठो संरक्षित वनभूमि एवं ०८ बाधक वृक्षों को विदोहन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग अमरोहा की पत्र संख्या-२२७ / १४-१, अमरोहा दिनांक ०३०-०८-२०१६.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि जनपद अमरोहा में बदांयू-बिजनौर मार्ग (एन०एच०-५१) कि०मी० ११३.१०० की दाँयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की खसरा संख्या-७९ तहसील हसनपुर में एक रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०७५९ हेठो संरक्षित वनभूमि एवं ०८ बाधक वृक्षों को विदोहन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसको वन संरक्षण अधिनियम-१९८० यथा संशोधित १९८८ की धारा-२ के अन्तर्गत परीक्षण कर वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग अमरोहा द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक – ३ प्रतियां।

भवदीय,

(आर० पी० वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक— / २२-२, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :— प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग अमरोहा को उनके उक्त पत्र के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक प्रस्ताव की प्रतियां इस कार्यालय से प्राप्त कर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक – यथोपरि।

(आर० पी० वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद